शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जून 2022
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

अ-सरकारी असरकारी : क्यों और कैसे ?

डॉ. पुष्पेन्द्र दुबे

अ-सरकारी की कसौटी क्या है घ् और असरकारी कौन होगा और कैसे होगा ?

यदि विनोबाजी के विचारों के संदर्भ में देखें तो जो व्यक्तिए जो संस्था सर्व तंत्र स्वतंत्र है, जो सभी का सहयोग लेने को तत्पर है, जो सभी के साथ सहयोग करने को तत्पर है, जिसे सभी से प्रेम तो होगा, परंतु मोह नहीं होगा, जो कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म में आसक्त नहीं होगा, जिसे किसी का भय नहीं होगा, जिससे कोई भयभीत नहीं होगा। वह अ-सरकारी होकर असरकारी होगा। संतों और महात्माओं ने समाज परिवर्तन में कभी सरकारी शक्ति का साथ नहीं लिया। यद्यपि सरकारें उनके पीछे-पीछे अवश्य घूमती रही हैं।

विनोबा जी ने खादी मिशन, आचार्यकुल और गौरक्षा के लिए जो कार्यकर्ता की कसौटी रखी, उसमें एक बात तीनों में है 'वोट न देने की शर्त!' लेकिन विनोबाजी के समय भी इस शर्त के बारे में मतभेद रहे और यह मतभेद आज तक कायम हैं। सभी पक्षों के साथ सत्य नहीं हो सकता, परंतु सत्यांश जरूर होता है। इस सत्यांश के आधार से पक्षातीत होकर सभी पक्षों का सहयोग लिया जा सकता है, जो विनोबाजी के सहयोगियों ने जीवनभर किया और आज भी कर रहे हैं। आजादी के बाद की सरकारों ने खादी के लिए काफी प्रयत्न किया। इसके बाद भी वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पायी। इसके पीछे अनेक कारण हैं। उन कारणों में खादी संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

विनोबाजी ने कहा है 'खादी बगावत का झण्डा है।' आज खादी संस्थाएं वर्तमान व्यवस्था से बगावत कैसे जाहिर कर सकती हैं ? खादी रक्षा अभियान में इस बगावत के समय-समय पर दर्शन हुए हैं। एक बगावत तब हुई जब खादी के पुरोधा खादी आयोग की चाबियां सरकार को समर्पित करने पहुंच गये थे तब सरकार ने खादी की सुध ली। एक बगावत तब हुई जब खादी सेवकों ने खादी कार्य करने से इन्कार कर दिया और सरकार को स्वयं बात करने लखनऊ आना पड़ा। एक बगावत तब हुई जब रिबेट एमएमडीए आदि राशि नहीं देने पर खादी भण्डार बंद रखे गये, प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिये गये। इसके बाद वर्षों से रुकी हुई राशि आवंटित हुई।

खादी रक्षा अभियान जिन मुद्दों को लेकर प्रारंभ किया गया था, वे आज भी कायम हैं। उन्हें हल करने के लिए खादी आयोग से मुक्ति की दिशा में बढ़ने के लिए पहले कदम के तौर पर एमएमडीए न लेने का संकल्प लिया था। संकल्प पर नौ-दस माह तक खादी संस्थाएं टिकी रहीं। यह संस्थाओं की उपलब्धि थी, परंतु अपने कामगारों और कार्यकर्ताओं के मोहवश उन्हें एमएमडीए लेना पड़ा अथवा खादी आयोग ने दबाव बनाकर उन्हें लेने पर विवश किया। खादी मार्का से विरोध होने के बाद भी खादी संस्थाओं

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जून 2022
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

ने उसे लिया। विनोबा ने लिखा है कि एक व्यक्ति नदी पार करने के लिए खूब तैरा, लेकिन किनारे पर आकर डूब गया। उसे क्या कहेंगे ? उसे तो डूबा ही कहेंगे। खादी संस्थाएं उसी तैराक के समान हैं। वे संकल्प लेती हैं, लेकिन जब परिणाम आने ही वाला होता है, तब व्यावहारिक कठिनाइयों के चलते अपने कदम वापस खींच लेती हैं।

ऐसी स्थिति में अ-सरकारी और असरकारी की साधना कैसे हो ? यह यक्ष प्रश्न है।

महात्मा गांधी के समय भी खादी के सामने अनेक चुनौतियां थीं। कमोबेश वही चुनौतियां आज भी मौजूद हैं। महात्मा गांधी असरकारी इसलिए हुए क्योंकि उनका चिंतन हमेशा 'आउट ऑफ द बाक्स' होता था। वे अपने को शून्य मानकर समस्या पर चिंतन करते थे, जिससे उन्हें समाधान भी सूझता था और हल करने का प्रयास भी करते थे। आउट ऑफ द बाक्स का आशय यही है कि परंपरागत ढंग से चिंतन की बजाय किसी ऐसी राह पर चलना जिससे हर कोई उसकी चर्चा करने लगे, जैसे महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ना।

हमें अपने आप से ही यह प्रश्न करना होगा कि 'अ-सरकारी' होने की हमारी कितनी तैयारी है ? ऐसा करने पर क्या-क्या खतरे आएंगे ? उन्हें व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से सहन करने की हमारी क्या तैयारी है ? अ-सरकारी होने की दिशा में बढ़ने पर सरकार के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी गलियों में भटकना पड सकता है। खादी आयोग की ओर से धाराओं का उपयोग किया जा सकता है। कामगारों और कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। जिन संस्थाओं में चुनाव आदि होते हैं, वहां 'अ-सरकारी' होने से असहमति दर्ज करायी जा सकती है। पद से भी मुक्त होना पड़ सकता है। इसके अलावा खादी सेवकों को बेहतर जानकारी है कि अ-सरकारी होने के क्या खतरे हैं।

आज हम खादी को 'असरकारी' तो करना चाहते हैं, लेकिन 'अ-सरकारी' होने की तैयारी है क्या ?

यदि हम 'अ-सरकारी' भी होना चाहते हैं और 'असरकारी' भी। इसके लिए विनोबा जी ने खादी मिशन के सेवकों को कहा :

1 निर्भय, निर्वैर, निष्पक्ष बनो। और राजनीति में मत पड़ो।

2 मैंने दो काम बताये हैं। आप लोग आचार्यकुल में शामिल हो जाओ और शांतिसेना खड़ी करो।

3 मैंने खादी कमीशन को सुझाया था कि वह खादी मिशन बने। वह जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन आप सबको सम्मिलित खादी मिशन बनाना चाहिए।

3 काका साहब कालेलकर ने मंत्र दिया था 'अ-सरकारी' 'असरकारी।' उस दृष्टि से काम करो।

अब यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि विनोबाजी ने निष्पक्षता की कसौटी मानी है 'वोट न देना।' आचार्यकुल में भी सदस्यता के लिए यही कसौटी थी। जब तक यह कसौटी कायम रही तब तक आचार्यकुल की तेजस्विता बनी रही। उसके सम्मेलनों में पारित होने वाले प्रस्तावों पर समाज और सरकार दोनों का न सिर्फ ध्यान लगा रहता था, बल्कि उसके प्रस्तावों पर अमल भी हुआ। लेकिन जब आचार्यकुल की सदस्य संख्या बढाने के लिए 'वोट न देने की' शर्त को शिथिल कर दिया गया और विचार प्रचार के लिए सरकार से धनराशि प्राप्त की गयी, उसके बाद से आचार्यकुल विचार की तेजस्विता समाप्तप्राय हो गयी।

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जून 2022
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

शांतिसेना का सैनिक बनने के लिए भी 'वोट न देना एक शर्त थी।' विनोबाजी ने शांतिसेना को गौरक्षा में लगा दिया, जिसके संयोजक श्री अच्युत देशपांडे थे। उन्होंने मृत्युपर्यंत एकनिष्ठ भाव से विनोबाजी के आदेशानुसार मुंबई के देवनार कत्लखाने के सामने सत्याग्रह किया। यह बात भी उल्लेखनीय है कि जब अच्युत काका सत्याग्रह कर रहे थे, तब पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी। अच्युत काका और पीवी नरसिंह राव ने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ एक साथ सत्याग्रह किया था। अच्युत काका से कहा गया कि नरसिंहराव जी आपके मित्र हैं। आपको गौरक्षा की खातिर उनसे मिलने जाना चाहिए। तब अच्युत काका का कहना था कि सत्याग्रही की मर्यादा होती है। सरकार यदि मानती है कि गौरक्षा होनी चाहिए तो वह चर्चा के लिए बुलाएगी। तब जाना उचित है अन्यथा सत्याग्रह चल रहा है। देवनार सत्याग्रह 32 साल चला। विनोबा ने इसके तीन आधार रखे :

यह सत्याग्रह अहिंसक होगा, असांप्रदायिक होगा और अराजनीतिक होगा। गौरक्षा जैसे अत्यंत ज्वलनशील प्रश्न को लेकर 32 साल सत्याग्रह करना कोई आसान नहीं था। इस बीच में कितनी सरकारें आयीं और गयीं। सत्याग्रह चलता रहा। इसके बाद भी संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बनना शेष है। आज तो इसी विचारधारा की सरकार केंद्र में है। संविधान संशोधन के लिए पूर्ण बहुमत भी है। नीति निर्देशक तत्व की धारा 48 को केंद्रीय कानून में बदलना है, परंतु आठ सालों में इससे संबंधित एक भी विधेयक न तो सरकार की तरफ से और न ही व्यक्तिगत रूप से सदन में पेश किया गया है।

इतना कहने का आशय यही है कि खादी संस्थाओं के सेवक यदि स्वयं को 'अ-सरकारी' बना लेते हैं और निष्पक्षता की कसौटी 'वोट न देने' को अपना लेते हैं, इसे सार्वजनिक रूप से जाहिर भी करते हैं तो इससे सामूहिक चित्त और सामूहिक शक्ति का निर्माण होगा। खादी की सेवा करने वालों को यह 'छोटा-सा त्याग करना पडेगा। अब कोई यह सोचे कि आज त्याग किया और कल उसका फल मिल जाए तो ऐसा समझना खुद को धोखा देने के समान होगा।

यदि हम वास्तव में 'असरकारी' होना चाहते हैं तो हमें स्वयं को 'अ-सरकारी' बनाना होगा। हमें खादी आंदोलन को 'अ-सरकारी' दिशा में ले जाने के लिए 'निष्पक्षता' को अपनाए बिना रास्ता नहीं है। तभी हम 'असरकारी' बन पाएंगे।